

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 319857



श्री. अ. शर्मा




श्री. अ. शर्मा

लेख पत्र का लक्षित विकल्प

- 1. गृहि का प्रकार : कुटि
- 2. प्रमाण : निजनीद
- 3. राय : नदीना
- 4. सम्पत्ति का विवरण : गृहि खसरा संख्या-1082/1  
(सम्पत्ति नं०)
- 5. नाम की शृंखला : शंकर

निर्वाह करती

निर्वाह करवाता



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

318805  
UTTAR PRADESH

1-3-

- 1. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.0675 हेक्टर
- 2. सम्पत्ति का प्रकार : वृषि
- 3. पेशों का वर्गीकरण : कोई पेश नहीं
- 4. नोटिफिकेशन : नहीं
- 5. प्रतिफल की शरारति : ₹ 1,38,285/-
- 6. ब्याज : ₹ 1,33,380/-
- 7. मालिकता : ₹ 1,51,875/-
- 8. रकम : ₹ 10,750/-


गिरावट

गिरावट

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 922522

- 3 -

पंजी

असरा नं० 10337

पुरुष : मुमि असरा संख्या-1042

परिवध : मुमि असरा संख्या-994

असरा : मुमि असरा संख्या-1040

वसिण : मुमि असरा संख्या-1005


पि००१० पुरा

पि०३० पुरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 035482

07/01/2011

उत्तर प्रदेश न्यायिक  
अपराध विभाग  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रथम पक्ष की संख्या-01

विश्वनाथ, प्रथम पक्ष का विवरण  
बहाली भुज भोला, निवासी  
-ग्राम महेन्द्र-गरुणा,  
तहसील -मोहनलालगंज,  
जिला लखनऊ।

अवसास - कृषि

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

संला: द्वितीय पक्ष का विवरण  
बालूनाल पुर भगानी  
निवासी-ग्राम पुरे निधी,  
मिलीजी, जिला-रायबरेली,  
उत्तर प्रदेश।

अवसास-कृषि

निर्देशक

निर्देशक





राज्य प्रदेश UTTAR PRADESH

X 403573

-6-

राज कि बिक्रेता/प्रसंग पक्ष सत्यापित प्रमाणित होता  
 खतौनी क्रम संख्या-30533, फसली वर्ष 1413 से 1418 से  
 खसरा संख्या-1009/1 कब्जा 0.4055 का 1/6 भाग यानि खसरा  
 0.06750 हेक्टेअर, स्थित ग्राम बटौना, पखना-बिजौर, ताहसील  
 व जिला लखनऊ के मानिक यस्मिल व शाबिज है, तथा  
 बिक्रेता/प्रसंग पक्ष के नाम राजेश अग्निनेही में लगभग 11 वर्ष से  
 कतिर असंलगनीय भूमिपट पते है।



यह कि ऊक्त भूमि असंक्रमणीय दर्ज है, ऊक्त कृषि भूमि विक्रेता, प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है, ऊक्त कृषि भूमि गुमना इत किराने के इलाकाजारा, मित्तल, रेखल, बरा, शिवा, जवानल, कुली, नमज, नुसदल, सख्यारी का गैर सरकारी बैंक काम, सख्यारी का गैर सरकारी कारखाना आदि से बिल्कुल बरी व पाक शाफ है, अतः सभन अधिकारी से ऊक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा कर तथा लक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता, प्रथम पक्ष, प्रेसा, द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय लिखत निष्पादित कर देगा। यदि ऊक्त भूमि या संक्रमणीय भूमि में इस्तेमाल नहीं हो पाता है और प्रस्तावित प्रेसा, द्वितीय पक्ष को ऊक्त भूमि के कब्जे से बेइखत किया जाता है तो विक्रेता, प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्रगत विक्रय मुद्दा की धनराशि ब्याज सहित प्रेसा, द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

अब कानूनी दृष्टि से उरही किला कृषि भूमि स्थित राम-धराना, महराना दिल्ली, लहलीन व जिला लखनऊ को खूब-सोच व सम्झवत बिना दयाक नावाचक किसी भीन व एक व कुल के बिल एका रु० 1,38,000/- (एक लाख असीस हजार तीन सौ असीस मात्र) में प्रेसा, द्वितीय पक्ष अरोला के एक

में बंधना तब मान्य है। निहायता हम उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के माध्यम से हैं:-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अस्तोचित तथ्यसुदा कीमत में से श्रेता/द्वितीय पक्ष ने विवेता/प्रथम पक्ष को रु० 1,33,220/- (एक लाख तीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) धराना के लीट पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विवेता/प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं।
2. यह कि कलसा रुपया रु० 5,000/- (अपया पाँच हजार मात्र) श्रेता/द्वितीय पक्ष, विवेता/प्रथम पक्ष को अवस्था रजिस्ट्री अदा करेगा।
3. यह कि उक्त भूमि असंक्रमणीय एवं है, उक्त कृषि भूमि विवेता/प्रथम पक्ष के कर्मों में लगभग 22 वर्ष से संयुक्त है, उक्त प्लॉट भूमि अमता रु० विन्स के हस्तकलाता, मिला, रेल, नथ, दिवा, जानागत, कुली, रन्धक, कुकडना, सारकरी या गीट सारकरी केव जण आदि से निर्युक्त रही व गार्क साफ है, अतः ससम अधिवर्ती से उक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा वन तथा ससम अधिवर्ती से अनुमति प्राप्त वन विवेता/प्रथम पक्ष, श्रेता/द्वितीय पक्ष के

पक्ष में विकल्प विवेक निम्नांकित यह होगा। यदि उक्त भूमि का संलग्नीय भूमि में हस्तांतरण नहीं हो जाता है और तृता, द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से वेदकल किया जाता है तो विवेक, प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विवेक मूल्य की धनराशि ब्याज सहित तृता, द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

4. यह कि विवेक, प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बरताना निम्नांकित करने में हीला-छाली करता है तो तृता, द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह कसबिसे अदाता उक्त भूमि का रजिस्ट्री बरताना अपने हक में करता लेवे तथा उक्त अदातानी कर्तव्यही में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी विवेक, प्रथम पक्ष की होगी।
5. यह कि यदि विकल्प, तृता अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के समित्व में मृति के कारण या कानूनी अड़थक के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान, निम्नांकित इत्यादि के कल्ले, अधिकार का स्वत्व से निम्न जावे तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निम्नांकित की यह एक होगा कि वह अपना सम्पत्त नुकसान मल हर्जा तथा ब्याज प्रथम पक्ष की मल व अथवा सम्पत्ति से जसिसे अदातल मरुत कर लें इस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान

हस्ता-सर्वां को हेतु प्राप्य होंगे। इस विषय अनुबन्ध पर ले  
पत्र का कोई ब्यवस्था यदि सम्मति पर होगा तो उसकी  
सिफारशी प्रथम पक्ष व उसके वारिष्ठान की होगी।

6. यह कि रजिस्ट्री अधिनियम निष्पादन में होने वाले व्यय जैसे  
कि स्वाम्य शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की सिफारशी  
जिला/द्वितीय पक्ष उपरोक्त की होगी।
7. यह कि इस अनुबन्ध पर द्वारा कब्जा दिया जा रहा है।  
जिला/प्रथम पक्ष व जिला/द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति  
के सदस्य हैं।
8. यह कि उपरोक्त विषय अनुबन्ध की शर्त हम जिला/प्रथम  
पक्ष व जिला/द्वितीय पक्ष के विधिक प्रतिनिधि, पक्षसक व  
जिला/द्वितीय पक्ष के विधिक वारिष्ठान आदि पर भी लागू  
होगी।
9. यह कि उपरोक्त भूमि जाम बराना, अर्ध-नगरीय क्षेत्र के  
सामान्य जाम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित  
सदफिल रेट रकम 22,50,000/- तबि उपरोक्त के लिये  
निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रित सम्पत्ति की भूमि  
स्वाम्य 0.05750 इंचेअर की मजिस्टा रकम 1,51,375/-  
होती है, जो विक्रित मूल्य से अधिक है, अतः निर्णयानुसार

मालियत पर ही रू० 10,750/- के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहे हैं।

10. यह कि आराजी उपरोक्त में गैड, द्युबवेल, घुआ व इमारत आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की 200 मीटर की क्रिया में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां संचालित हैं।
11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग तुलतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
12. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

बयाना धनराशि प्राप्ति का विवरण

1. रू० 1,33,380/- (रुपया एक लाख तीलीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) द्वारा चेक संख्या-293877 दिनांकित 24.03.2019, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल बयाना राशि रू० 1,33,380/- (रुपया एक लाख तीलीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से कसूल पाया।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष ने क्रेता जोट द्याब नानाचक किसी राज्य के स्वस्थ गतिष्क, स्वतंत्र राहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर/निशानी

श्री 20/03/2019

श्री 20/03/2019


विद्युत आपूर्ति विभाग (एनएल)

118,26,000 151,87,500 115,38,000 1,243.10 29 1,263.83 1,003

प्रतिफल जोड़ना प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात प्रति-अनुपात

श्री  
श्री

*Handwritten signature*



विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

पी.के.सिंह  
एम. निदेशक (प्रश्न)

दस्तावेज  
24/2/2011

संख्या 1001  
दिनांक 24/2/2011  
विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

*Handwritten signature*

विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी



श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी



विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी  
श्री श्री काशी

*Handwritten signature*



विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश

पी.के.सिंह  
एम. निदेशक (प्रश्न)

दस्तावेज  
24/2/2011

विद्युत आपूर्ति विभाग के निदेश



Notes

Registration No.:

2019

Year:

2011

Branch:

1


Q104

Sketch


Sketch

is a sketch of an architectural element

Q10



•  $\text{CO}_2$   $\rightarrow$   $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   
 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   
 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   
 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$




17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Registration No. 5010

Year 2011

Book No. 11


0201 वाचपुस्तक  
वाचपुस्तक  
वाचपुस्तक  
वाचपुस्तक




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु  
फिंगर प्रिंट्स

बिंदा का नाम व पता: बरारी पुत्र भोलू, निवासी ग्राम मल्लेन्द्र-परगना, तहसील  
नीलमलासंग, जिला रायचूर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-




*Binoda*  
बिंदा के हस्ताक्षर

केदा का नाम व पता- बहुराज पुत्र ब्यानी निवासी ग्राम पूर निगी, भिर्लीडी,  
जिला-रायचूर, तहसील

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



*Keda*  
केदा के हस्ताक्षर

आवृत्ति क्र. 2403/2011 अ

पृष्ठ सं. 1 दिनांक 12560

पृष्ठ सं. 1 से 28 तक का सं. 3979

संशोधित किया गया है।

संशोधित करने वाले का नाम:

  
पी. के. शर्मा

राज निदेशक (प्रशासन)

लखनऊ

24-3-2011

